INDIA TWENTY RUPEES
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(34)

निगरानी क्रमांक /2016

प्रस्तुती दिनांक –

## माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

R-4421. PBR/16

फईम पिता शम्मी पठान
आयु – 43 वर्ष, व्यवसाय – व्यापार
निवासी – 2, अशरफ नगर, इन्दौर

– निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. राज्य शासन द्वारा कलेक्टर महोदय
कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला, जिला इन्दौर

2– तहसीलदार महोदय इन्दौर
विजय नगर क्षेत्र, कलेक्टर कार्यालय
मोती तबेला, इन्दौर

– प्रत्यर्थीगण

... द्वारा आज दि. 30.12.16 को प्रस्तुत
30.12.16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
30/12/16

## निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विजय नगर तहसील इन्दौर जिला इन्दौर द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया एवं उसके तहत जारी सूचनापत्र क्रमांक 150 /री–2/2016, दिनांक 07/12/2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करता है:–

**प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–**

यह कि, संबंधित सूचनापत्र ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 325/3/2/1 एवं सर्वे क्रमांक 325/3/2/2 रकबा क्रमशः 1.452 हे. एवं 1.543 हे. स्थित भूमि के बाबद [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4421 -पीबीआर/16 — जिला झाबुआ

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22-1-2019 | अनावेदक पक्ष शासन की ओर से श्री हेमन्त मूंगी, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी तहसील न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष कलेक्टर के समक्ष दिनांक 25-4-2019 को उपस्थित हों । आवेदक सूचित हो।<br><br>रीडर          अध्यक्ष | |